

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
शिक्षा निदेशालय, पुराना सचिवालय, दिल्ली
विधायी कार्य शाखा/प्रश्न कक्ष

संख्या डी.ई.-25 (13)/209 / वि.कार्य / 2017-18 / 1602-1603 दिनांक:- 06/08/2018

सेवा में,

उपसचिव, (प्रश्न कक्ष)
दिल्ली विधान सभा सचिवालय,
पुराना सचिवालय, दिल्ली 110054


विषय:- विधानसभा तारांकित/अतारांकित प्रश्न संख्या 12 दिनांक 06.08.2018 के सन्दर्भ में।

महोदय,

आपकी सेवा में दिनांक 06.08.2018 को विधानसभा में पूछे गये उपरोक्त प्रश्न की 100 प्रतिलिपियाँ भेजने का निर्देश हुआ है। जोकि आपको प्रेषित है।

भवदीय,

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार


उप शिक्षा निदेशक,
(विधायी कार्य शाखा)

प्रतिलिपि:-

1. निदेशक, सूचना एवं प्रचार विभाग, दिल्ली सरकार, पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054 (150 प्रतियाँ) Delhi

DDE (PGMS)
Dir. of Education

विभाग का नाम :- शिक्षा विभाग

विभाग का पता :- पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054


अतारांकित प्रश्न संख्या :- 12

दिनांक :- 06.08.2018

प्रश्नकर्ता का नाम :- श्री पवन कुमार शर्मा

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

प्रश्न	उत्तर
(क) निजी विद्यालय के शिक्षकों के वेतन भुगतान संबंधित समस्याओं के निस्तारण हेतु कोई कमेटी या संबंधित समिति है;	जी नहीं, इस प्रकार की कोई कमेटी या समिति नहीं बनाई गई। तथापि निजी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों की वेतन भुगतान संबंधी समस्याओं के निस्तारण हेतु उप शिक्षा निदेशक (जोन एवं जिला), प्राइवेट स्कूल ब्रांच तथा सभी संबंधित अधिकारी "दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट एवं रूल्स" के अनुसार आवश्यक कार्यवाही करते हैं।
(ख) यदि हां तो कृपया पूर्ण विवरण दें; और	उपरोक्तानुसार लागू नहीं होता।
(ग) यदि नहीं तो क्या सरकार की कोई ऐसी समिति बनाने का प्रस्ताव है?	संबंधित उप शिक्षा निदेशक (जिला/जोन) तथा प्राइवेट स्कूल ब्रांच एवं अन्य संबंधित अधिकारी इस तरह की शिकायतों के निपटान हेतु उपरोक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करते हैं।


DDE (PGMS)
Dte. of Education
Govt. of NCT of Delhi